National Research Journal of Human Resource Management
Volume No: 11, Issue No: 2, Year: 2024 (July-December)
PP: 71-80
ISSN: 2349-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

महिला अधिकारों की संवैधानिक संरचना में डॉ. अम्बेडकर का योगदान: वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में अध्ययन

शिल्पा कुमारी

शोधार्थी

विश्विद्यालय राजनीति विज्ञान विभाग, ललित नारायण मिथिला विश्विद्यालय, दरभंगा

सारांश

यह शोध-पत्र भारतीय संविधान में महिला अधिकारों की संरचना और उसके निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर के योगदान का विश्लेषण करता है। अध्ययन का मुख्य आधार द्वितीयक आँकड़े, संवैधानिक प्रावधान, सरकारी रिपोर्टें, विधिक दस्तावेज, संसदीय आँकड़े तथा अम्बेडकर के लेखन और भाषण हैं। शोध का मूल तर्क यह है कि भारतीय संविधान में महिला अधिकारों की संरचना केवल समानता के औपचारिक सिद्धांत पर आधारित नहीं है, बल्कि उसमें सामाजिक न्याय, सकारात्मक भेदभाव, श्रम-सुरक्षा, मातृत्व संरक्षण, राजनीतिक प्रतिनिधित्व और मानवीय गरिमा का विस्तृत दृष्टिकोण निहित है। डॉ. अम्बेडकर ने संविधान-निर्माण की प्रक्रिया में स्त्री को स्वतंत्र नागरिक, अधिकार-संपन्न व्यक्ति और सामाजिक लोकतंत्र की सक्रिय इकाई के रूप में देखने का मार्ग प्रशस्त किया। समकालीन भारत में महिलाओं की शिक्षा, वित्तीय पहुँच और श्रम-भागीदारी में सुधार हुआ है, परंतु प्रतिनिधित्व-अंतर, लैंगिक हिंसा, वेतन-असमानता, न्याय-प्रवेश और सामाजिक पितृसत्ता जैसी चुनौतियाँ अभी भी गंभीर हैं। निष्कर्षतः, अम्बेडकर का योगदान आज भी महिला अधिकारों की संवैधानिक व्याख्या और नीतिगत दिशा दोनों के लिए केंद्रीय महत्व रखता है।

मुख्य शब्द: महिला अधिकार, भारतीय संविधान, डॉ. अम्बेडकर, सामाजिक न्याय, लैंगिक समानता, संवैधानिक लोकतंत्र।

1. प्रस्तावना

भारतीय लोकतंत्र की संवैधानिक संरचना में महिला अधिकारों का प्रश्न केवल लैंगिक समानता का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, नागरिकता, प्रतिनिधित्व और मानवीय गरिमा के व्यापक विमर्श से जुड़ा हुआ है। भारतीय संविधान ने स्त्री को केवल संरक्षण की पात्र इकाई नहीं माना, बल्कि उसे समान अधिकारों वाली नागरिक इकाई के रूप में स्थापित किया। इस संवैधानिक दृष्टि के निर्माण में डॉ. भीमराव अम्बेडकर की भूमिका अत्यंत महत्त्वपूर्ण रही। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष के रूप में अम्बेडकर ने समानता, स्वतंत्रता, विधि के समक्ष समान संरक्षण, भेदभाव-निषेध और सामाजिक न्याय की ऐसी संवैधानिक संरचना विकसित करने में योगदान दिया, जिसने भारतीय महिलाओं को आधुनिक नागरिक अधिकारों का वैधानिक आधार प्रदान किया [1]।

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान है; अनुच्छेद 15(1) राज्य को धर्म, जाति, लिंग आदि के आधार पर भेदभाव से रोकता है; अनुच्छेद 15(3) राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की अनुमति देता है; अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर की गारंटी देता है; और नीति-निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 39 तथा 42 समान आजीविका, समान वेतन और मातृत्व-सहायता जैसी बातों को राज्य की नीति से जोड़ते हैं [2]। ये प्रावधान इस बात का संकेत देते हैं कि संविधान में महिला अधिकारों की संरचना केवल "नकारात्मक स्वतंत्रता" अर्थात भेदभाव से मुक्ति तक सीमित नहीं है,

ISSN: 2349-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

बल्कि "सकारात्मक न्याय" अर्थात अवसर, सुरक्षा और सामाजिक क्षमता के निर्माण पर भी आधारित है।

समकालीन भारत में महिला अधिकारों की स्थिति मिश्रित है। एक ओर महिला शिक्षा, बैंकिंग पहुँच, राजनीतिक जागरूकता और श्रम-भागीदारी में वृद्धि हुई है; दूसरी ओर हिंसा, असमान प्रतिनिधित्व, देखभाल-कार्य का बोझ, संपत्ति पर सीमित नियंत्रण और औपचारिक रोजगार में कम भागीदारी जैसी समस्याएँ बनी हुई हैं। PLFS 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी दर 40.0% और कार्यकर्ता जनसंख्या अनुपात 38.8% दर्ज किया गया [3]। यह वृद्धि सकारात्मक संकेत है, किंतु महिला श्रम की गुणवत्ता और सुरक्षा पर गंभीर प्रश्न बने हुए हैं। इसी प्रकार, 18वीं लोकसभा में 543 सदस्यों में 74 महिलाएँ हैं, जो लगभग 13.6% प्रतिनिधित्व को दिखाता है [4]। यह आँकड़ा बताता है कि राजनीतिक लोकतंत्र में महिलाओं की वास्तविक भागीदारी अभी भी सीमित है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध भी संवैधानिक अधिकारों और वास्तविक सामाजिक स्थितियों के बीच अंतर को उजागर करते हैं। NCRB के 2023 आँकड़ों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के 4,48,211 मामले दर्ज हुए और अपराध दर 66.2 प्रति लाख महिला आबादी रही [5]। यह स्थिति दिखाती है कि संवैधानिक गारंटी और सामाजिक व्यवहार के बीच गहरी खाई अभी मौजूद है। इसलिए यह शोध-पत्र यह विश्लेषण करता है कि डॉ. अम्बेडकर द्वारा निर्मित संवैधानिक दृष्टि वर्तमान चुनौतियों को समझने और उनका समाधान खोजने में किस प्रकार प्रासंगिक है।

2. अध्ययन के उद्देश्य

इस शोध-पत्र के प्रमुख उद्देश्य हैं:

भारतीय संविधान में महिला अधिकारों की संरचना का विश्लेषण करना।

महिला अधिकारों के संवैधानिक विकास में डॉ. अम्बेडकर के योगदान को स्पष्ट करना।

समकालीन भारत में महिला अधिकारों से संबंधित प्रमुख चुनौतियों का द्वितीयक आँकड़ों के आधार पर अध्ययन करना।

अम्बेडकरवादी सामाजिक न्याय-दृष्टि से वर्तमान नीतियों और विधिक ढाँचे का मूल्यांकन करना।

महिला अधिकारों को अधिक प्रभावी बनाने के लिए संवैधानिक और नीतिगत सुझाव प्रस्तुत करना।

3. शोध-प्रविधि

यह अध्ययन वर्णनात्मक, विश्लेषणात्मक और व्याख्यात्मक पद्धति पर आधारित है। इसमें मुख्यतः द्वितीयक स्रोतों का उपयोग किया गया है। स्रोतों में भारतीय संविधान, डॉ. अम्बेडकर के लेखन और भाषण, PLFS, NFHS-5, NCRB, PRS Legislative Research, सरकारी राजपत्र, संसदीय अभिलेख तथा प्रामाणिक शोध-साहित्य सम्मिलित हैं। आँकड़ों की व्याख्या के लिए प्रतिशत, प्रतिशत-बिंदु अंतर और सरल तुलनात्मक विश्लेषण का उपयोग किया गया है।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व-अंतर की गणना निम्न प्रकार की गई है:

प्रतिनिधित्व-अंतर = एक-तिहाई प्रतिनिधित्व लक्ष्य – वर्तमान महिला प्रतिनिधित्व

वर्तमान लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व लगभग 13.6% है, जबकि एक-तिहाई प्रतिनिधित्व का मानक 33.3% है। अतः प्रतिनिधित्व-अंतर लगभग 19.7 प्रतिशत-बिंदु है। यह अंतर बताता है कि संवैधानिक समानता के बावजूद विधायी संस्थाओं में स्त्री की उपस्थिति अभी भी अपर्याप्त है।

ISSN: 2349-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

4. भारतीय संविधान में महिला अधिकारों की संरचना

भारतीय संविधान में महिला अधिकारों की संरचना बहुस्तरीय है। इसे चार प्रमुख आयामों में समझा जा सकता है—समानता संबंधी अधिकार, भेदभाव-निषेध, सकारात्मक संरक्षण और सामाजिक-आर्थिक न्याय।

समानता का अधिकार। अनुच्छेद 14 सभी व्यक्तियों को विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण की गारंटी देता है। यह प्रावधान महिलाओं को नागरिकता के स्तर पर पुरुषों के बराबर स्थापित करता है। इससे स्त्री को परिवार, जाति, समुदाय या परंपरा की अधीन इकाई के रूप में देखने की प्रवृत्ति को संवैधानिक चुनौती मिलती है [2]।

भेदभाव-निषेध। अनुच्छेद 15(1) लिंग के आधार पर भेदभाव को निषिद्ध करता है। यह प्रावधान महिला अधिकारों की संवैधानिक संरचना का केंद्रीय तत्व है, क्योंकि भारतीय समाज में स्त्री-वंचना अक्सर जन्म, जाति, धर्म, विवाह, परिवार और श्रम-विभाजन से जुड़ी होती है। अनुच्छेद 15(3) विशेष रूप से महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि यह राज्य को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है। इस प्रकार संविधान औपचारिक समानता और वास्तविक समानता के बीच अंतर को स्वीकार करता है [2]।

रोजगार और अवसर-समानता। अनुच्छेद 16 सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर का प्रावधान करता है। यह महिलाओं को राज्य-संचालित अवसरों में समान भागीदारी का अधिकार देता है। इसके अतिरिक्त नीति-निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 39(a) पुरुष और महिला दोनों को पर्याप्त आजीविका के साधन उपलब्ध कराने की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 39(d) समान कार्य के लिए समान वेतन की दिशा देता है [2]।

मातृत्व और श्रम-सुरक्षा। अनुच्छेद 42 राज्य को न्यायसंगत और मानवीय कार्य-स्थितियाँ तथा मातृत्व-सहायता सुनिश्चित करने का निर्देश देता है। इस प्रावधान का महत्व केवल मातृत्व-कल्याण तक सीमित नहीं है; यह महिला श्रम को सामाजिक पुनरुत्पादन, देखभाल और जैविक श्रम की वास्तविकताओं के साथ समझने का संवैधानिक प्रयास है।

5. डॉ. अम्बेडकर का योगदान: समानता से सामाजिक न्याय तक

डॉ. अम्बेडकर का योगदान केवल संविधान की तकनीकी रचना तक सीमित नहीं था। उन्होंने भारतीय समाज की संरचनात्मक असमानताओं को समझते हुए संविधान में ऐसे सिद्धांतों को स्थान दिया जो सामाजिक परिवर्तन का आधार बन सकते थे। अम्बेडकर ने बार-बार इस बात पर बल दिया कि राजनीतिक लोकतंत्र तभी टिकाऊ हो सकता है जब उसके पीछे सामाजिक लोकतंत्र हो। सामाजिक लोकतंत्र का अर्थ उनके लिए स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर आधारित जीवन-पद्धति था [1]।

महिला अधिकारों के संदर्भ में अम्बेडकर की दृष्टि विशेष रूप से प्रगतिशील थी। उन्होंने हिंदू कोड बिल के माध्यम से विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, दत्तक ग्रहण और संपत्ति-अधिकार जैसे प्रश्नों को स्त्री-स्वतंत्रता से जोड़ा। अम्बेडकर के लिए निजी कानून केवल धार्मिक परंपरा का क्षेत्र नहीं था; वह सामाजिक न्याय और नागरिक समानता का क्षेत्र भी था। उन्होंने यह समझा कि यदि स्त्री को संपत्ति, विवाह और पारिवारिक निर्णयों में अधिकार नहीं मिलेगा, तो संविधान की समानता घर की देहरी पर आकर रुक जाएगी [6]।

ISSN: 2349-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

अम्बेडकर का योगदान इस बात में भी है कि उन्होंने महिला को केवल "संरक्षित वर्ग" के रूप में नहीं देखा। उन्होंने स्त्री को अधिकार-संपन्न व्यक्ति माना। संविधान में अनुच्छेद 15(3) जैसे प्रावधानों के माध्यम से यह स्वीकार किया गया कि ऐतिहासिक रूप से वंचित समूहों को वास्तविक समानता दिलाने के लिए विशेष उपाय आवश्यक हैं। यही दृष्टि आज महिला आरक्षण, मातृत्व लाभ, कार्यस्थल सुरक्षा, घरेलू हिंसा-रोधी कानून और यौन उत्पीड़न-निवारण कानूनों की वैधानिक नींव को वैचारिक आधार देती है।

अम्बेडकरवादी संवैधानिकता का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है संवैधानिक नैतिकता। इसका अर्थ है कि समाज की परंपराएँ, रीति-रिवाज और सामुदायिक नैतिकता संविधान के मूल्यों से ऊपर नहीं हो सकतीं। महिला अधिकारों के संदर्भ में यह विचार अत्यंत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि पितृसत्ता अक्सर परंपरा, परिवार-मान, धर्म और संस्कृति के नाम पर स्त्री की स्वतंत्रता को सीमित करती है। अम्बेडकर का संवैधानिक दृष्टिकोण इन सभी दावों को समानता और गरिमा की कसौटी पर जाँचता है।

6. वर्तमान चुनौतियाँ: संवैधानिक अधिकार बनाम सामाजिक यथार्थ

राजनीतिक प्रतिनिधित्व की चुनौती

भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की मतदान-भागीदारी बढ़ी है, किंतु विधायी प्रतिनिधित्व अभी भी कम है। 18वीं लोकसभा में महिलाओं की संख्या 74 है, जो कुल 543 सदस्यों का लगभग 13.6% है [4]। यह स्थिति बताती है कि लोकतांत्रिक भागीदारी और राजनीतिक शक्ति में अंतर बना हुआ है। संविधान का 106वाँ संशोधन, 2023 संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण की व्यवस्था करता है, परंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए अधिनियम में आगे की संवैधानिक प्रक्रिया और अधिसूचना की शर्तें निहित हैं [7]। इसीलिए महिला राजनीतिक अधिकारों की चुनौती केवल आरक्षण पारित होने तक सीमित नहीं है; वास्तविक चुनौती उसका समयबद्ध, समावेशी और न्यायपूर्ण क्रियान्वयन है।

आर्थिक अधिकार और श्रम-बाजार असमानता

महिलाओं की श्रम-बल भागीदारी में वृद्धि के बावजूद आर्थिक अधिकारों की स्थिति जटिल है। PLFS 2025 के अनुसार 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की LFPR 40.0% और WPR 38.8% रही [3]। यह आँकड़ा बताता है कि महिलाएँ श्रम में अधिक दिखाई दे रही हैं, लेकिन कार्य की प्रकृति पर विचार करना आवश्यक है। भारत में महिलाओं का बड़ा हिस्सा अनौपचारिक, असुरक्षित, कम वेतन वाले या पारिवारिक श्रम में संलग्न है। अम्बेडकरवादी दृष्टि से आर्थिक सशक्तिकरण का अर्थ केवल काम में शामिल होना नहीं है, बल्कि कार्य की गरिमा, उचित वेतन, सामाजिक सुरक्षा, संपत्ति पर अधिकार और निर्णय-क्षमता भी है।

लैंगिक हिंसा और सुरक्षा

महिला अधिकारों की संवैधानिक संरचना तब तक अधूरी है जब तक स्त्री हिंसा, भय और उत्पीड़न से मुक्त न हो। NCRB के 2023 आँकड़ों के अनुसार महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के 4,48,211 मामले दर्ज हुए, अपराध दर 66.2 प्रति लाख महिला आबादी रही और चार्जशीट दर 77.6% रही [5]। यह आँकड़ा यह दर्शाता है कि कानूनी संरचना के बावजूद सामाजिक हिंसा और न्याय-प्रवेश की बाधाएँ बनी हुई हैं। घरेलू हिंसा, दहेज-उत्पीड़न, यौन हिंसा, साइबर उत्पीड़न और सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षा महिलाओं की संवैधानिक स्वतंत्रता को व्यावहारिक रूप से सीमित करती हैं।

ISSN: 2349-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

पारिवारिक और संपत्ति-अधिकार की चुनौती

अम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल के माध्यम से जिस संपत्ति और पारिवारिक न्याय की कल्पना की थी, वह आज भी पूर्णतः साकार नहीं हो पाई है। उत्तराधिकार कानूनों में सुधार के बावजूद अनेक महिलाएँ सामाजिक दबाव के कारण पैतृक संपत्ति में अपना हिस्सा नहीं ले पातीं। विवाह, तलाक, रखरखाव, अभिभावकत्व और घरेलू निर्णयों में भी स्त्री की स्थिति वर्ग, जाति, धर्म और ग्रामीण-शहरी विभाजन से प्रभावित होती है। इस संदर्भ में अम्बेडकर की दृष्टि आज भी प्रासंगिक है, क्योंकि उन्होंने निजी क्षेत्र को भी सामाजिक न्याय के दायरे में रखने का प्रयास किया था [6]।

अंतर्विभेदी असमानता

महिला अधिकारों की वर्तमान चुनौती को केवल "महिला बनाम पुरुष" के द्वैत में नहीं समझा जा सकता। दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, ग्रामीण, गरीब, विकलांग और एकल महिलाओं की स्थितियाँ अलग-अलग प्रकार की वंचनाओं से प्रभावित होती हैं। अम्बेडकर का सामाजिक न्याय दर्शन इस अंतर्विभेदी दृष्टि को समझने में विशेष सहायक है, क्योंकि उन्होंने जाति, वर्ग, श्रम और सामाजिक प्रतिष्ठा के संबंधों को गहराई से देखा था। इसलिए महिला अधिकारों की संवैधानिक संरचना को समानता के साथ-साथ प्रतिनिधित्व और सामाजिक पुनर्वितरण से भी जोड़ना आवश्यक है।

7. परिणाम एवं विश्लेषण

तालिका 1: महिला अधिकारों से जुड़े प्रमुख संवैधानिक प्रावधान

संवैधानिक प्रावधान	विषय	महिला अधिकारों से संबंध
अनुच्छेद 14	विधि के समक्ष समानता	महिला को समान नागरिक दर्जा
अनुच्छेद 15(1)	लिंग-आधारित भेदभाव निषेध	राज्य द्वारा भेदभाव पर रोक
अनुच्छेद 15(3)	महिलाओं हेतु विशेष प्रावधान	सकारात्मक संरक्षण और आरक्षण का आधार
अनुच्छेद 16	सार्वजनिक रोजगार में समान अवसर	सरकारी सेवाओं में समान अवसर
अनुच्छेद 39(a)	आजीविका के साधन	पुरुष और महिला दोनों के लिए आर्थिक आधार
अनुच्छेद 39(d)	समान कार्य के लिए समान वेतन	वेतन-न्याय का संवैधानिक निर्देश
अनुच्छेद 42	मातृत्व सहायता और मानवीय कार्य दशाएँ	श्रम और मातृत्व-सुरक्षा

स्रोत: भारतीय संविधान संबंधी सरकारी/शैक्षिक संक्षेप [2]।

ISSN: 2349-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

चित्र 1: महिला अधिकारों की संवैधानिक संरचना का वैचारिक मॉडल

तालिका 2: समकालीन महिला अधिकारों की स्थिति: चयनित संकेतक

संकेतक	नवीनतम उपलब्ध मान	विश्लेषणात्मक अर्थ
महिला LFPR, 15+	40.0%	श्रम-भागीदारी में सुधार, परंतु गुणवत्ता का प्रश्न
महिला WPR, 15+	38.8%	कार्यरत महिलाओं की दृश्यता में वृद्धि
लोकसभा में महिला सांसद	74/543	प्रतिनिधित्व अभी कम
लोकसभा में महिला प्रतिनिधित्व	13.6%	एक-तिहाई लक्ष्य से कम
महिलाओं के विरुद्ध अपराध	4,48,211	सुरक्षा और न्याय की गंभीर चुनौती
अपराध दर	66.2 प्रति लाख	सामाजिक असुरक्षा का संकेत
चार्जशीट दर	77.6%	न्याय-प्रक्रिया में सुधार की आवश्यकता

स्रोत: PLFS 2025, PRS, NCRB-आधारित आँकड़े [3], [4], [5]।

ISSN: 2349-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

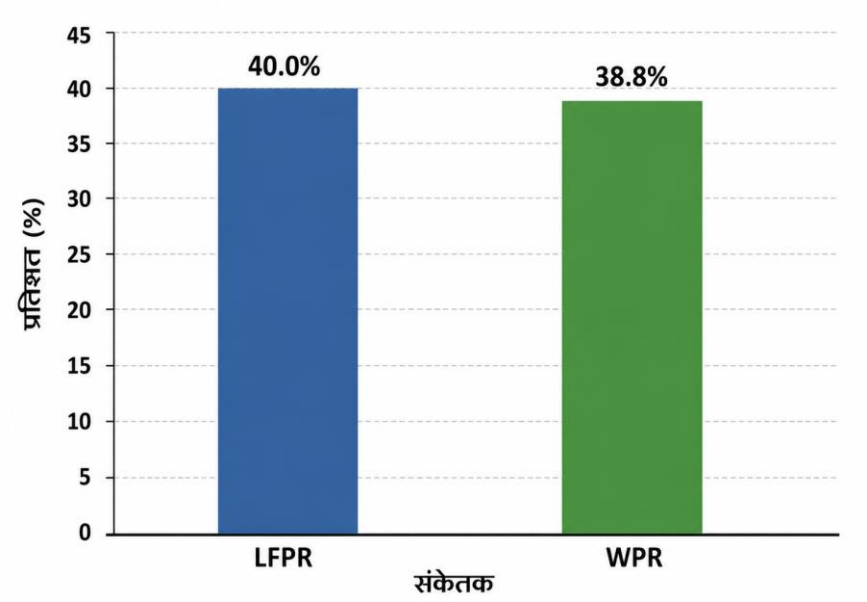

चित्र 2: महिला LFPR और WPR का तुलनात्मक स्तंभ-चित्र

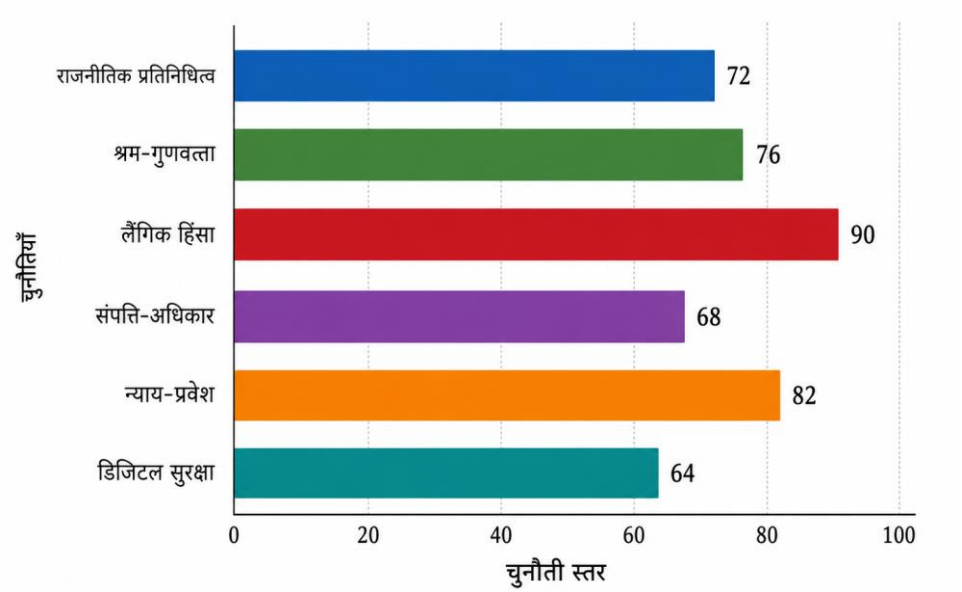

चित्र 3: महिला अधिकारों की वर्तमान चुनौतियाँ

तालिका 3: महिला प्रतिनिधित्व-अंतर का गणितीय आकलन

घटक	मान
लोकसभा की कुल सीटें	543
महिला सांसद	74
वर्तमान महिला प्रतिनिधित्व	13.6%
एक-तिहाई प्रतिनिधित्व लक्ष्य	33.3%
प्रतिनिधित्व-अंतर	19.7 प्रतिशत-बिंदु

ISSN: 2349-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

33.3% प्रतिनिधित्व हेतु अनुमानित सीटें	लगभग 181
वर्तमान से अतिरिक्त आवश्यक सीटें	लगभग 107

तालिका 3 से स्पष्ट है कि वर्तमान लोकसभा में महिलाओं की संख्या को एक-तिहाई प्रतिनिधित्व के स्तर तक पहुँचाने के लिए लगभग 107 अतिरिक्त महिला प्रतिनिधियों की आवश्यकता होगी। यह अंतर केवल संख्यात्मक कमी नहीं है; यह सत्ता-संरचना में महिलाओं की सीमित भागीदारी का संकेत है।

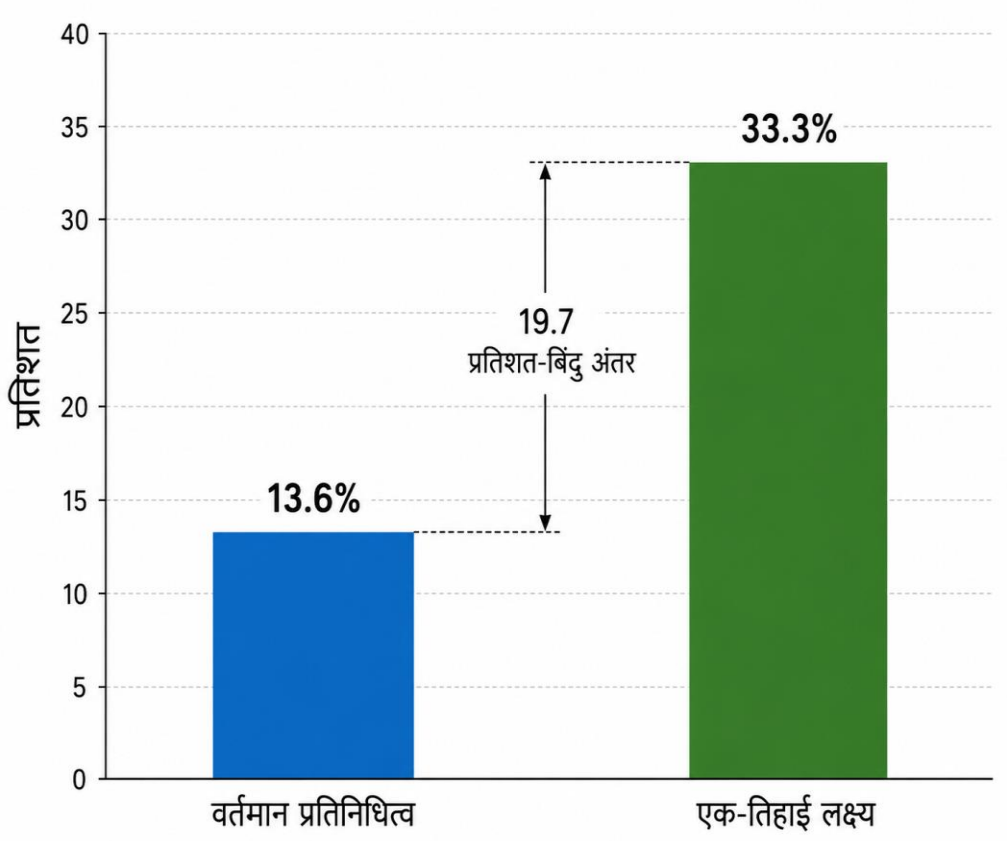

चित्र 4: वर्तमान लोकसभा महिला प्रतिनिधित्व बनाम एक-तिहाई लक्ष्य

8. चर्चा

भारतीय संविधान में महिला अधिकारों की संरचना अपने समय के लिए अत्यंत प्रगतिशील थी। यह संरचना केवल पश्चिमी उदार समानता का अनुवाद नहीं थी, बल्कि भारतीय समाज की जाति, पितृसत्ता, वर्ग और धार्मिक-सामुदायिक जटिलताओं को ध्यान में रखकर निर्मित की गई थी। डॉ. अम्बेडकर ने इस बात को समझा कि यदि समानता को केवल औपचारिक कानूनी अधिकार तक सीमित रखा गया, तो सामाजिक रूप से शक्तिशाली समूह अपने प्रभुत्व को बनाए रखेंगे। इसलिए संविधान में समानता के साथ-साथ सकारात्मक प्रावधानों और नीति-निर्देशक तत्वों को भी स्थान दिया गया।

ISSN: 2349-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

वर्तमान समय में महिला अधिकारों की सबसे बड़ी चुनौती यही है कि संवैधानिक अधिकारों को सामाजिक व्यवहार में कैसे उतारा जाए। उदाहरण के लिए, अनुच्छेद 14 और 15 महिलाओं को समानता देते हैं, परंतु घरेलू हिंसा, दहेज, बाल विवाह, संपत्ति से वंचना और कार्यस्थल उत्पीड़न जैसी समस्याएँ बताती हैं कि समाज का बड़ा हिस्सा अभी भी संवैधानिक नैतिकता को पूर्ण रूप से स्वीकार नहीं कर पाया है। इसी प्रकार, अनुच्छेद 16 रोजगार में अवसर-समानता की बात करता है, परंतु महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल, मातृत्व-समर्थक संस्थागत व्यवस्था, क्रेच, सुरक्षित परिवहन और समान वेतन अभी भी अधूरे लक्ष्य हैं।

राजनीतिक प्रतिनिधित्व के क्षेत्र में संविधान का 106वाँ संशोधन महत्वपूर्ण प्रगति है, लेकिन इसका प्रभाव क्रियान्वयन पर निर्भर करेगा। यदि आरक्षण केवल सांकेतिक प्रतिनिधित्व उत्पन्न करता है और दलगत सत्ता-संरचनाएँ पुरुष-प्रधान ही रहती हैं, तो इसका लोकतांत्रिक प्रभाव सीमित रह जाएगा। अम्बेडकरवादी दृष्टि से प्रतिनिधित्व का अर्थ केवल उपस्थिति नहीं, बल्कि निर्णय-क्षमता और नीति-निर्माण में प्रभाव है।

न्याय-प्रवेश भी एक गंभीर प्रश्न है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की उच्च संख्या यह दर्शाती है कि दंडात्मक कानून आवश्यक हैं, परंतु पर्याप्त नहीं। पुलिस व्यवस्था, न्यायालयों की गति, पीड़िता संरक्षण, कानूनी सहायता और सामाजिक पुनर्वास के बिना संवैधानिक अधिकारों का वास्तविक उपयोग कठिन हो जाता है। अनुच्छेद 39A समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता की दिशा देता है, परंतु ग्रामीण, गरीब और वंचित महिलाओं के लिए कानूनी सहायता की प्रभावशीलता अभी भी सीमित है।

अम्बेडकर का सबसे बड़ा योगदान यह है कि उन्होंने महिला अधिकारों को सामाजिक न्याय के व्यापक ढाँचे से जोड़ा। वे जानते थे कि स्त्री की अधीनता केवल व्यक्तिगत संबंधों की समस्या नहीं, बल्कि सामाजिक संरचना की समस्या है। इसलिए समाधान भी केवल व्यक्तिगत जागरूकता से नहीं आएगा; इसके लिए कानून, शिक्षा, प्रतिनिधित्व, आर्थिक संसाधन, सामाजिक सुरक्षा और संवैधानिक नैतिकता का संयुक्त प्रयोग आवश्यक है।

9. नीतिगत सुझाव

महिला अधिकारों की संवैधानिक संरचना को प्रभावी बनाने के लिए निम्न सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं:

महिला आरक्षण के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए समयबद्ध संवैधानिक और प्रशासनिक रोडमैप तैयार किया जाना चाहिए। राजनीतिक दलों को उम्मीदवार चयन, दलगत पदों और संसदीय समितियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी चाहिए।

आर्थिक अधिकारों को श्रम-बाजार की गुणवत्ता से जोड़ा जाए। महिला श्रमिकों के लिए समान वेतन, सामाजिक सुरक्षा, मातृत्व लाभ, क्रेच, सुरक्षित परिवहन और कार्यस्थल उत्पीड़न-निवारण तंत्र को अनिवार्य और प्रभावी बनाया जाए।

महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में न्याय-प्रक्रिया को अधिक संवेदनशील और त्वरित बनाया जाए। महिला हेल्प डेस्क, वन-स्टॉप सेंटर, निःशुल्क कानूनी सहायता और पीड़िता पुनर्वास को ग्रामीण क्षेत्रों तक मजबूत रूप से पहुँचाया जाए।

संपत्ति-अधिकारों के वास्तविक क्रियान्वयन पर बल दिया जाए। भूमि और संपत्ति पंजीकरण में महिलाओं की संयुक्त या स्वतंत्र स्वामित्व भागीदारी बढ़ाने के लिए कर-प्रोत्साहन, कानूनी जागरूकता और स्थानीय प्रशासनिक निगरानी आवश्यक है।

शिक्षा प्रणाली में संवैधानिक नैतिकता, लैंगिक समानता और अम्बेडकर के सामाजिक न्याय-दर्शन को नागरिक शिक्षा के हिस्से के रूप में पढ़ाया जाए। इससे कानून और समाज के बीच की दूरी कम होगी।

ISSN: 2349-059X
Peer Reviewed & Refereed Journal
National Research Journal

10. निष्कर्ष

भारतीय संविधान में महिला अधिकारों की संरचना डॉ. भीमराव अम्बेडकर की सामाजिक न्याय-दृष्टि से गहराई से प्रभावित है। संविधान ने महिलाओं को समान नागरिकता, भेदभाव से मुक्ति, सकारात्मक संरक्षण, रोजगार-समानता, मातृत्व-सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी का आधार प्रदान किया। परंतु वर्तमान भारत में इन अधिकारों का वास्तविक क्रियान्वयन अभी भी अनेक चुनौतियों से घिरा है। राजनीतिक प्रतिनिधित्व की कमी, लैंगिक हिंसा, आर्थिक असुरक्षा, संपत्ति से वंचना और सामाजिक पितृसत्ता यह दिखाती है कि संवैधानिक अधिकारों को सामाजिक जीवन में उतारने की प्रक्रिया अभी अधूरी है।

डॉ. अम्बेडकर का योगदान आज भी इसलिए प्रासंगिक है क्योंकि उन्होंने अधिकारों को केवल कागजी गारंटी नहीं माना, बल्कि सामाजिक परिवर्तन का साधन माना। उनके दृष्टिकोण में महिला अधिकार, सामाजिक लोकतंत्र और संवैधानिक नैतिकता परस्पर जुड़े हुए हैं। अतः समकालीन भारत में महिला सशक्तिकरण की दिशा में आगे बढ़ने के लिए अम्बेडकरवादी दृष्टि को केवल स्मरण करने की नहीं, बल्कि नीति, कानून और सामाजिक व्यवहार में लागू करने की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

4. अम्बेडकर, बी. आर. डॉ. बाबासाहेब अम्बेडकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खंड 1. डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार।
5. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। "भारत में महिलाओं के अधिकार और विशेषाधिकार।" भारत सरकार।
6. सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, भारत सरकार। "पीएलएफएस वार्षिक रिपोर्ट 2025 की प्रमुख विशेषताएँ।" प्रेस सूचना ब्यूरो, 2026।
7. पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च। "18वीं लोकसभा की प्रोफाइल।" नई दिल्ली, 2024।
8. राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो। भारत में अपराध 2023. गृह मंत्रालय, भारत सरकार, 2025।
9. अम्बेडकर, बी. आर. "हिंदू कोड बिल।" डॉ. बाबासाहेब अम्बे डकर: राइटिंग्स एंड स्पीचेज, खंड 14. डॉ. अम्बेडकर फाउंडेशन, भारत सरकार।
10. भारत सरकार। संविधान (एक सौ छठा संशोधन) अधिनियम, 2023. भारत का राजपत्र, 2023।